(स्पीड पोस्ट)

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस–बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो0–सदाकत आश्रम, पटना–800010

पत्रांकः

पटना, दिनांकः

प्रेषक,

एस0 चन्द्रशेखर,भा0व0से0

सदस्य–सचिव

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

बेल्ट्रोन भवन, शास्त्री नगर,

पटना–800023.

विषयः **मेसर्स अंबुज शर्मा, सियाराम सदन, मगध कॉलनी, रोड नं०: 02, चंदौती, गया (गया फल्गू नदी बालू घाट–09, मौजा–मंडौल, रौना और तारका, अंचल–गया टॉउन सी०डी० बलॉक, बेलागंज और खिजरसराय, जिला–गया) में स्थित बालू घाट से बालू उत्खनन कार्य हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–S.O- 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के आलोक में मेसर्स अंबुज शर्मा, सियाराम सदन, मगध कॉलनी, रोड नं०: 02, चंदौती, गया (गया फल्गू नदी बालू घाट–09, मौजा–मंडौल, रौना और तारका, अंचल–गया टॉउन सी०डी० बलॉक, बेलागंज और खिजरसराय, जिला–गया) से बालू खनन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांकः 21.08.2023 को सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/–
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :–

पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः यथोपरि।

ह0/–
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :–

पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– मेसर्स अंबुज शर्मा, सियाराम सदन, मगध कॉलनी, रोड नं०: 02, चंदौती, गया (गया फल्गू नदी बालू घाट–09, मौजा–मंडौल, रौना और तारका, अंचल–गया टॉउन सी०डी० बलॉक, बेलागंज और खिजरसराय, जिला–गया) को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः यथोपरि।

ह0 / –

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :– 1871

पटना, दिनांक :– 21.9.23

प्रतिलिपिः–श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्षद्, पटना को निदेश है कि दिनांकः 21.08.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति पर्षद् के वेबसाईट पर डिसप्ले कराया जाय। दिनांकः 21.08.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नकः यथोपरि।

21/9/23

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य–सचिव

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स अंबुज शर्मा, सियाराम सदन, मगध कॉलोनी, रोड़ नं0 02, चंदौती, जिलाः गया (गया फल्गू नदी बालू घाटः 09, मौजाः मंडौल, रौना और तारका, अंचलः गया टाउन सी0 डी0 ब्लॉक, बेलागंज और खिजरसराय, जिलाः गया) का गया जिला अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 21.08.2023 को अपराह्न 03.:15 बजे अंचल कार्यालय, गया टाउन सी0 डी0 ब्लॉक, जिला–गया के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2288/2023, dated 14.02.2023 के आलोक में श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 21.08.2023 को अपराह्न 03:15 बजे अंचल कार्यालय, गया टाउन सी0 डी0 ब्लॉक, जिला–गया में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 19.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया फल्गू नदी बालू घाटः 09, मौजाः मंडौल, रौना और तारका, अंचलः गया टाउन सी0 डी0 ब्लॉक, बेलागंज और खिजरसराय, जिलाः गया के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

Scanned with CamScanner

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉगा गया।

लोक सुनवाई कार्यकम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कुणाल कश्यप ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री चिकु शर्मा, पताः मंडौल, जिलाः गया।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में नियमित रूप से जल का छिड़काव किया जाय, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जाय साथ ही स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये रोजगार दिया जाय। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।
2.	श्री रंजीत कुमार यादव, पताः तिनारी, जिलाः गया।	इनके द्वारा वायु प्रदूषण की रोक–थाम एवं रोजगार से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः–बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित

Scanned with CamScanner

		होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस–पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धुलकण का कुप्रभाव न हो। साथ ही बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार ने श्री रंजीत कुमार यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री दिपु कुमार, पताः मंडौल, जिलाः गया।	इनके द्वारा बालू की चोरी एवं ज्यादा गहराई तक बालू खनन से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन क्षेत्र में बालू की खुदाई 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। साथ ही बालू खनन सरकार के नियमानुसार किया जायेगा। अगर ज्यादा गहराई तक लेसी द्वारा की जाती है तो स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से किया जा सकता है। इसप्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार ने श्री दिपु कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री रंजीत कुमार, पताः रौना, जिलाः गया।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि नदी के किनारे ज्यादा–से–ज्यादा वृक्षारोपण किया जाय जिससे मिट्टी का कटाव रूक सके। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।

Scanned with CamScanner

5.	श्री अविनाश कुमार, पताः मंडौल, जिलाः गया।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धुल–कण एवं रोजगार से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा साथ ही बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार ने श्री अविनाश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के कम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें, घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खननं परियोजना को शीध्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद,
गया

(हस्ताक्षर) 16.9.23
अपर समाहर्त्ता,
गया

Scanned with CamScanner

<u>उपस्थिति सूची</u>

मेसर्स अंबुज ,शर्मा, सियाराम सदन, मगध कॉलनी, रोड नं०: 02, चंदौती, गया द्वारा गया फल्गू नदी बालू घाट–09, मौजा–मंडौल, रौना और तारका, अंचल–गया टॉउन सी०डी० बलॉक, बेलागंज और खिजरसराय, जिला–गया का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 21.08.2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में गया टॉउन सी०डी० बलॉक, जिला–गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अंजनि कुमार	अपर समाहर्ता गया	[signature] 21-8-23
2.	मनोरंजन कुमार सिंह	क्षेत्रीय पदाधिकारी बि० रा० प्र० नि० पर्षद् गया।	[signature]
3.	कुणाल कश्यप	खरमनचक, भागलपुर	Kunal
4.	अम्बुज शर्मा	मगध कॉलोनी रोड नं-2 9473325705	[signature]
5.	Raushan Raj	रौना 9304799089	Raushan Raj
6.	सुबोध कुमार	मनडौल 9918996719	सुबोध कुमार
7.	संजय कुमार	रौना 9939211013	[signature]
8.	दीपक कुमार सिन्हा	तरका 7667642895	[signature]
9.	मनीष कुमार	मनडौल	Manish K

Scanned with CamScanner

10.	विकास कुमार सिंह	मंडौल 7070913736	विकास कुमार
11.	vivek kumar	रौना 9934376222	[signature] 21/8/23
12.	अमित कुमार	मण्डौल 8210600466	अमित कुमार
13.	अनिल यादव	रौना 9801081899	[signature]
14.	अविनाश कुमार	8294812004 मंडल	अविनाश कुमार
15.	रजनीश कुमार	मंडौल 7484809089	Rajnish Ku
16.	Suresh yadav	टेका 8789334864	[signature]
17.	महेश यादव	रौना 8783424788	महेश यादव
18.	गोपाल कुमार	रोघ 8809510302	[signature]
19.	राकेश कुमार	मंडौल 9771114385	Rakesh Kumar
20.	गोपाल कुमार	मंडौल	गोपाल कुमार

Scanned with CamScanner

21.	Shiva Kumar	मंडौल	~~Sitra~~ Shiva ku
22.	Vikul Kumar	मंडौल	V
23.	Sunny	mandeul	Sunny v
24.	रजनीश कुमार	मंडौल	रजनीश
25.	Dipu Singh.	Rauna.	Dipu
26.	छोटु सिंह	Rauna	~~Rauna~~ Chotu Singh
27.	उमा सिंह	महादेव बिधारौना	उमा सिंह
28.	बबलु शर्मा	मंडौल	बबलु शर्मा
29.	उमेश यादव	तेलबिघा	उमेश यादव
30.	सोनी सिंह	मंडौल	सोनी
31.	संजय यादव	तेलबीघा	संजय

Scanned with CamScanner

32.	रामप्रसाद मंडल	[illegible]	[illegible]
33.	पप्पु कुमार	रौना 9958228815	पप्पु कुमार
34.	प्रमोद कुमार	8987024758 रौना	प्रमोद कुमार
35.	SATISH SHARMA	RAUNA 9971818584	Sa[illegible]
36.	Satish Kumar	नरकटा 9572532396	Satish Kum
37.	Karan Kumar	नरकटा 9341082353	Karan Kumar
38.	Sonu Singh	रौना 6205773752	Sonu Singh.
39.	Amit Kumar	मंझौल 7739952653	Amit Kum
40.	Gelu Kumar	मंझौल 6204751165	Gelu Kumar
41.	VISHAL KR.	MANJHAUL 620450042[illegible]	[illegible]
42.	Rahul Yadav	Rouna 8002879541	[illegible]

Scanned with CamScanner

43.	monty yadav	मंडोला 9199016335	monty
44.	Deepak Kumar	सौना 7033125935	[signature]
45.	Kundan Kumar	सौना 7484816188	Kus
46.	चीकुशर्मा	8210600466 मंडोला	Pikus
47.	रंजीत यादव	तीनेरी 9631070746	रंजीत यादव
48.	राहुल गुप्ता	सौना 8825173859	राहुल गुप्ता
49.	मुकेश कुमार	8804354347 सौना	[signature]
50.			

Scanned with CamScanner

बिहार सरकार

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

ई-मेल- msbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट-http://[illegible]

लोक-सुनवाई की सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 एवं यथा संशोधित अधिसूचनाओं के आलोक में राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष मैसर्स अंशुल शर्मा, सियाराम सदन, मगध कॉलनी, रोड नं० 02, चंदौती, गया (गया फल्गु नदी बालू घाट-09, मौजा-मंझौल, रौना और सारका, अंचल-गया टॉउन सी०डी० ब्लॉक, बेलागंज और खिजरसराय, जिला-गया) द्वारा फल्गु नदी के बालू घाट (गया फल्गु-09) में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचाराधीन है।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference) निर्गत की गयी है तथा लोक-सुनवाई की जानी है।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है। जिसमें संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित है। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्षद मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, गया, कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गया, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया एवं जिला खनन कार्यालय, गया के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद के वेबसाईट: http://bspcb.bihar.gov.in पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्षद कार्यालय में जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद के ई-मेल: msbspcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक-सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:-

दिनांक	समय	अंचल का नाम	बालू घाट का मौजा	बालू घाट का नाम	लोक-सुनवाई का स्थल
21.08.2023	पूर्वाह्न 11:00 बजे	अंचल-गया टॉउन सी०डी० ब्लॉक बेलागंज और खिजरसराय	गया जिला अन्तर्गत मौजा-मंझौल, रौना और सारका।	गया फल्गु-09	गया टॉउन सी०डी० ब्लॉक, जिला-गया

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक-सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 गाईड-लाईन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करायेगें।

सदस्य सचिव

PR. No. 005438 (MI.NI) 2023-24

नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है।

Scanned with CamScanner

"लोक-सुनवाई"

मेसर्स अंबुज शर्मा, सियाराम सदन, मगध कॉलनी, रोड नं.-
घाट-09, मौजा- मंडौल, रौना और तारका, अंचल-गया टॉउन सी.डी. ब्लॉक, बेलागंज और खिजरसराय,
जिला-गया) का गया जिला में परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते
"लोक-सुनवाई"
पीठासीन
पदाधिकारी

गया (गया फल्गू नदी बालू
मेसर्स अंबुज शर्मा, सियाराम सदन, मगध कॉलनी, रोड नं.- बेलागंज और खिजरसराय,
घाट-09, मौजा- मंडौल, रौना और तारका, अंचल-गया टॉउन सी.डी. ब्लॉक,
जिला-गया) का गया जिला में परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते
"लोक-सुनवाई"
दिनांक: 21.08.2023 समय : पूर्वाह्न 11:00 बजे
पर्षद्, पटना